न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/379

मिसल नम्बर– 58 / 2025

श्रीमति भंवरी जैन पत्नी स्व0 बाबूलाल जैन आयु 70 वर्ष निवासी मकान नं0 308 सेक्टर 7 केशवपुरा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.श्रीमति निशा सोनी पत्नी श्री भानु जैन पुत्री श्री टीकमचंद आयु 40 वर्ष हाल निवासी मकान नं0 308 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा स्थायी निवासी मार्फत टीकमचंद सोनी मकान संख्या 1–क–37 टीचर कॉलोनी, कोटिल्य सामुदायिक भवन के पास कोटा

2.भानु जैन पुत्र स्व0 बाबूलाल आयु 40 वर्ष निवासी मकान नं0 308 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 22/5/2026

उपस्थितिः–

1. श्री वीरेन्द्र सिंह सोनी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुनील कुमार वर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की वर्तमान आयु 70 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है। प्रार्थीया का स्वअर्जित आये से खरीदशुदा आवासीय मकान सख्या 308, सेक्टर–7. केशवपुरा, कोटा (राज०) में स्थित है। उक्त मकान को खरीदने के बाद प्रार्थीया ने अपने खर्चे से दो मंजिल तक निर्माण कार्य कराया गया तथा उक्त मकान में बहैसियत मालिक प्रार्थीया निवास कर रही है, उक्त मकान के बाबत् समस्त हक अधिकार प्रार्थीया को प्राप्त है। अप्रार्थी नं. 1 व 2 प्रार्थीया के पुत्रवधू व पुत्र है, दोनों ने आज से 8 वर्ष पूर्व अपनी इच्छा से विवाह किया और विवाह उपरान्त अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 2 के साथ बतौर पत्नी के रूप में निवास किया तथा प्रार्थीया ने विवाह के बाद अप्रार्थीगण को प्रथम मंजिल पर स्थित एक कमरें में रहने की अनुमति अस्थायी से दी गयी। अप्रार्थी नं. 1 के आचरण व्यवहार का विवाह के समय पता नहीं चल सका, अप्रार्थीया नं. 1 कोटा शहर की स्थायी निवासी है और अप्रार्थीया नं. 1 के काफी परिचित व्यक्ति हैं, अप्रार्थी नं. 1 अधिकतर समय मोबाइल से विडियो कॉलिंग कर अपने मिलने वाले व्यक्तियों से बातचीत करती रहती है तथा अधिकतर समय घर से बाहर रहती है और अपनी इच्छानुसार घुमने चली जाती है, घर गृहस्थी के काम में कोई रूचि नहीं लेती है और अप्रार्थी नं. 1 अप्रार्थी नं. 2 से भी मनमुटाव रखती है और उससे अभद्र भाषा का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(5)

प्रयोग कर बातचीत करती है और कहती है कि तू हरिजन की औलाद है, तू तेरे बाप की संतान नहीं है और अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीया से भी दुर्व्यवहार करती है और कहती है कि बुढ़ढी मरती भी नहीं है, किन्तु अप्रार्थी नं. 2 अप्रार्थी नं. 1 के व्यवहार को नजरअन्दाज करता रहता है और अपने पति धर्म के कर्तव्यों को निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करता है। दौरानें निवास अप्रार्थी नं. 2 के सहवास से अप्रार्थी नं. 1 के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कतान्श है वर्तमान आयु 7 वर्ष के लगभग है। पुत्र के जन्म के बाद पूर्व से भी ज्यादा अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थीया व उसके पुत्र को परेशान करना प्रारम्भ कर दिया तथा नाबालिग पुत्र की परवरिश में भी कोई ध्यान नहीं रखती और उसके साथ थप्पड़ों से मारपीट करती रहती है, अप्रार्थी नं. 1 के अमानवीय व्यवहार से प्रार्थीया काफी परेशान हो चुकी है। अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थीया का अपने ही मकान में निवास करना मुश्किल कर रखा है, अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीया को परेशान करने के आशय से लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करने पर आमादा हो जाती है और मकान के उपयोग, उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करती है, आज से एक वर्ष पूर्व अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थीया को बाथरूम में धक्का दे दिया, जिससे कि प्रार्थीया के फ्रेक्चर हो गया तथा अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीया को परेशान करने के आशय से मकान के उपयोग, उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न करती है, लेट्रिन–बाथरूम का उपयोग करने पर हाथ पकड़कर बाहर खीच लेती है, दिनांक 05.06.25 को जब प्रार्थीया सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो सीढी से धक्का देने का प्रयास किया, प्रार्थीया नहीं गिरी तो उसके बाल पकड़कर खींच लिये और फर्श पर गिरा दिया. इस प्रकार अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थीया को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान व प्रताड़ित कर रखा है। अप्रार्थी नं. 1 का व्यवहार अधिनियम व नियमों की भावनाओं के विपरीत है तथा प्रार्थीया के स्वअर्जित सम्पत्ति के उपयोग उपभोग करने से भी अप्रार्थीया नं. 1 ने वंचित कर रखा है। प्रार्थीया बुजुर्ग महिला है, वृद्धावस्था की बीमारियों से ग्रसित है, प्रार्थीया को स्वस्थ्य रहने के लिए दवा–गौलियों का सेवन करना पड़ता है तथा प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 1 का विरोध करने में सक्षम नहीं है तथा प्रार्थिया पुलिस थाना जाकर अप्रार्थी नं. 1 के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है, प्रार्थीया असहाय महिला है, अप्रार्थी नं0 1 के उपरोक्त प्रकार के दुर्यवहार व लडाई झगड़े से प्रार्थीया काफी व्यथित है और अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थीया पर मानसिक रूप से दबाव बनाना प्रारम्भ कर दिया है कि प्रार्थीया उक्त आवासीय मकान को अप्रार्थी नं. 1 के नाम कर देवें व अप्रार्थीया नं. 1 मकान के दूसरे कमरों पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रही है, अप्रार्थीया नं. 1 प्रार्थीया की बिना सहमति के कमरों का ताला लगा देती है, जिससे कि प्रार्थीया को काफी परेशान होती है, प्रार्थीया द्वारा इस बात का विरोध करने पर अपार्थीया नं, 1 प्रार्थीया के साथ मारपीट करती है और उसका मकान में रहना दुश्वार कर रखा है, खाना–पीना भी ढंग से नहीं खाने देती है तथा अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीया के भरण–पोषण हेतु व्यवस्था नहीं की। प्रार्थीया स्वयं को ही मकान के कमरों से अर्जित आय से अपना गुजर–बसर करना पड़ता है जिसमें भी अप्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न करते है, बल्कि अप्रार्थीया नं. 1 चाहती है कि प्रार्थीया परेशान होकर मकान छोड़कर अन्यत्र चली जावे। इस प्रकार से अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थीया परेशान व प्रताड़ित कर रखा है। दिनांक 06.07.2025 को अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की, इस पर अप्रार्थी नं. 2 ने बीच–बचाव किया और अप्रार्थी नं. 1 के उक्त गैर कानूनी कृत्य का विरोध किया तो इस पर अप्रार्थीया नं. 1 नाराज होकर पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा में अप्रार्थी नं. 2 के विरूद्ध पुलिस थाना

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

महावीर नगर, कोटा में रिपोर्ट कराने चली गयी और वहाँ जाकर अप्रार्थी नं. 2 की शिकायत कर दी, जिसमें अप्रार्थी नं. 2 को पुलिस ने दिनभर बिठाये रखा और शाम को ए.डी एम सिटी, कोटा में पेश किया जहाँ से अप्रार्थी नं. 2 को जमानत करानी पड़ी। अप्रार्थी नं. 1 से प्रार्थीया को पूर्णतया जान–माल का खतरा बना हुआ है, अर्थीया नं. 1 कभी भी अनुचित कृत्य करके प्रार्थीया को हानि पहुंचा सकती है और आये दिन अप्रार्थी नं. 1 कहती है कि इस बुढ़िया को तो मैं जहर देकर मार दूंगी, इसके बाद इस मकान पर मैं कब्जा कर लूंगी, इस प्रकार से प्रार्थीया को अप्रार्थी नं. 1 के साथ रहने से गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है तथा प्रार्थीया को अप्रार्थी नं. 1 को मकान से निष्कासित करने के अलावा प्रार्थीया के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जबकि प्रार्थीया को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि अप्रार्थी नं. 1 व 2 को भी मकान से निकाले एवं निष्कासित करे एवं अप्रार्थी नं. 1 व 2 से पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का आवसीय मकान 308, सेक्टर–7, केशवपुरा, कोटा में स्थित निर्मित कमरें से अप्रार्थी नं. 1 व 2 को निष्कासित किये जाने एवं प्रार्थीया को उसकी सम्पत्ति मकान के शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् आदेश प्रदान करे और माननीय न्यायालय यह भी आदेश करे कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक हानि नहीं पहुंचाये तथा उसके जीवन को किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करे और प्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल करने का प्रयास भी नहीं करे, अप्रार्थी नं0 2 प्रार्थीया को भरण पोषण राशि भी दिलाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीया क्रम 1 का विवाह अप्रार्थी क्रम 2 के साथ दिनांक 29.01.2019 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार कोटा में सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थीया क्रम 1 का पति तथा प्रार्थीया अप्रार्थीया क्रम 1 की सास है। अप्रार्थीया क्रम 1 के विवाह के काफी समय पूर्व अप्रार्थीया क्रम 1 के पिता की मृत्यु हो गयी थी एवं अप्रार्थीया क्रम 1 की माता द्वारा अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर अप्रार्थीया क्रम 1 का विवाह किया एवं दान दहेज दिया जिसमे कान के सोने के झुमके, सोने की चौन, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, डबल बेड, वाशिंग मशीन अलमारी, एलईडी टी वी, स्कूटी, खाने पीने के समस्त बर्तन व 1,00,000/–रूपये नकद व पहरावनी के कपडे लगभग 50,000/–रूपये दिये थे एवं प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से अप्रार्थीया क्रम 1 को एक सोने का हार, टिकला, अंगूठी सोने की दी थी जो अप्रार्थीया क्रम 1 का स्त्रीधन है जो प्राथीया व अप्रार्थी क्रम 2 के कब्जे में है। विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थीया क्रम 1 को कम दहेज लाने का ताना मारते हुए कहते कि तेरे घर वालों ने 10 तोला सोना भी नहीं दिया और आए दिन 10 तोला सोना लाने की मांग को लेकर अप्रार्थीया क्रम 1 के साथ मारपीट करते और अप्रार्थीया क्रम 1 को तीन चार बार मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात अप्रार्थीया क्रम 1 के अप्रार्थी क्रम 2 के नुत्फे से एक पुत्र कथांश आयु 6 वर्ष पैदा हुआ जिसकी डिलीवरी भी अप्रार्थीया क्रम 1 के पीहर मे अप्रार्थीया क्रम 1 की माता द्वारा करवायी गई और समस्त खर्चा भी अप्रार्थीया क्रम 1

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की माता ने खर्च किया अप्रार्थीया क्रम 1 के पुत्र होने के उपरान्त कुछ समय पश्चात् ही प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 2 ने दिनांक 10.03.2022 को अप्रार्थीया क्रम 1 से 5,00,000/–रूपये नकद व 10 तोला सोना लाने की मांग को लेकर मारपीट की और घर से निकाल दिया जिस पर अप्रार्थीया कम 1 द्वारा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा मे रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर अप्रार्थी क्रम 2 को पाबंद किया लेकिन कुछ समय पश्चात दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 द्वारा दोबारा अप्रार्थीया कम 1 के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गयी और घर से निकाल दिया जिस पर अप्रार्थीया क्रम 1 रात भर घर के बाहर अपने बेटे के साथ बैठी रही और अगले दिन दिनांक 06.06.2025 को पुलिस थाना महावीर नगर कोटा मे रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर अप्रार्थी क्रम 2 को थाने द्वारा पाबंद करवाया तब जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 ने अप्रार्थीया कम 1 को घर में घूंसने नहीं दिया। प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थीया कम 1 को घर से निकालकर अप्रार्थीया कम 1 से छुटकारा पाना चाहते है और अपना मकान बेचान करना चाहते है ताकि अप्रार्थीया कम 1 को घर से निकालने में कामयाब हो सके जिसके चलते माह जून 2025 मे प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 अप्रार्थीया कम 1 व उसके पुत्र को अकेला छोड़कर अप्रार्थीया कम 1 का समस्त स्त्रीधन अपने कब्जे में लेकर घर से कहीं चले गए जिससे अप्रार्थीया कम 1 के भूखे मरने की नौबत आ गयी है और प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 द्वारा उनके मकान में गुण्डे भिजवाकर अप्रार्थीया कम 1 को डरा धमका कर परेशान किया जा रहा है ताकि अप्रार्थीया कम 1 मकान से निकल जावें और प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 द्वारा उक्त मकान को बेचने की कोशिश की जा रही है। अप्रार्थीया क्रम 1 अप्रार्थी कम 2 के साथ विवाह के पश्चात् प्रथम बार उक्त मकान में ही आई थी और तब से उक्त मकान में ही निवास कर रही है। प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 अप्रार्थीया कम 1 को कम दहेज लाने व दहेज की मांग को लेकर घर से निकालकर अप्रार्थीया कम 1 को परेशान करना चाहते है एवं अप्रार्थीया कम 1 को उक्त मकान से बाहर निकालकर मकान बेचना चाहते है। इस संबंध में अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 2 के विरूद्ध महिला पुलिस थाना कोटा शहर व पुलिस अधीक्षक महोदय को परिवाद प्रस्तुत कर रखे है। जिस पर अनुसंधान जारी है एवं न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 6, कोटा को अन्तर्गत धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 व 23(2) घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया क्रम 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीया नं. 1 निशा सोनी ने अप्रार्थी नं. 1 के साथ कुछ महिना ही पत्नी के रूप में निवास किया, अप्रार्थीया नं. 1, अप्रार्थी नं. 2 से मनमुटाव रखती, लड़ाई झगड़ा करती अपनी इच्छानुसार घर से बाहर घुमने चली जाती तथा प्रार्थीया भँवरी जैन से लड़ाई झगड़ा करती उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करती, उक्त तथ्य स्वीकार है। अप्रार्थीया नं. 1 के द्वारा प्रार्थीया के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना एवं दिनांक 05.06.25 को प्रार्थीया को सीढ़ी से नीचे उतरते समय धक्का देकर गिराना स्वीकार है। अप्रर्थीया नं. 1 प्रार्थीया को तंग व परेशान करती है तथा अप्रार्थीया नं. 1 का व्यवहार सदभाविक एवं अच्छा नहीं है। अप्रार्थीया नं. 1 निशा सोनी प्रार्थीया को परेशान करती है तथा प्रार्थीया को मकान में नहीं रहने देती है, प्रार्थीया के साथ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मारपीट करती है। उक्त वर्णित तथ्य स्वीकार है तथा अप्रार्थीया नं. 1 और प्रार्थीया के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, अप्रार्थीया नं. 1 प्रार्थीया को देखकर गाली–गलौच करती है और उसके मकान में निवास करने में भी व्यवधान उत्पन्न करती है। दिनांक 06.07.25 को अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की गयी। प्रार्थीया, अप्रार्थी नं. 1 के व्यवहार से काफी परेशान व्यथित है, अप्रार्थीया नं. 1 से परिसर कमरा खाली कराना चाहती है तथा प्रार्थीया के उक्त मकान में अप्रार्थी नं. 2 का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थीया का मकान उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है, प्रार्थीया मकान की एकमात्र मालिक काबिज है तथा अप्रार्थीया ने. 1 प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, अपमानजनक व्यवहार करती है, प्रार्थीया वृद्ध महिला है, उसे अप्रार्थीया नं. 1 डराती धमकाती है तथा मारपीट करने पर आमादा हो जाती है। अप्रार्थीया नं. 1 अप्रार्थी नं. 2 के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखती है तथा अप्रार्थी नं. 2 ने उक्त मकान से अपना कब्जा हटा लिया है। प्रार्थीया, अप्रार्थी नं. 1 व 2 को अपने मकान में नहीं रखना चाहती है, अप्रार्थी नं. 2 ने अलग परिसर कमरा किराये पर ले लिया है तथा प्रार्थीया का मकान खाली कर दिया है, उक्त मकान में निवास नहीं कर रहा है तथा आप्रार्थी नं. 1 को भी परिसर खाली करने के लिए कहा किन्तु अप्रार्थीया नं. 1 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गयी है तथा प्रार्थीया को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित परेशान कर रही है और अप्रार्थीया नं. 1 प्रार्थीया के मकान को खाली करके नहीं संभला रही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थी नं. 2 को कोई एतराज नहीं है।

बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई। प्रार्थीया की ओर से फोटो कॉपी मकान की रजिस्ट्री दिनांक 11.02.2011 पेश की है।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीया की ओर से कथन किया है कि उक्त मकान प्रार्थीया का स्वअर्जित आय से खरीदशुदा आवासीय मकान है। अप्रार्थीया नं. 1 ने प्रार्थीया का अपने ही मकान में निवास करना मुश्किल कर रखा है, अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीया को परेशान करने के आशय से लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करने पर आमादा हो जाती है और मकान के उपयोग, उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करती है। अप्रार्थीया नं0 1 ने प्रार्थीया को बाथरूम में धक्का दे दिया, जिससे कि प्रार्थीया के फ्रेक्चर हो गया। प्रार्थीया सीढी से नीचे उतर रही थी तो सीढी से धक्का देने का प्रयास किया, प्रार्थीया नही गिरी तो उसके बाल पकडकर खींच लिये ओर फर्श पर गिरा दिया।

अप्रार्थीया नं0 1 की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी नं0 2 द्वारा दहेज की मांग को लेकर अप्रार्थी नं0 1 के साथ मारपीट की एवं अप्रार्थीया को घर से बाहर निकाल दिया। अप्रार्थीया की ओर से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी नं0 2 की विरूद्ध घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई और ना ही अप्रार्थी नं0 1 को पाबंद करने से सम्बंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या फ्रेक्चर होने से सम्बंधित मेडिकल रिपोर्ट या उक्त कृत्य किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(७)

के पश्चात कोई शिकायत पत्र/रिपोर्ट भी पेश नही किया है जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रही है।

पत्रावली एवं अप्रार्थी नं0 2 के जवाब के अवलोकन एवं बहस के कथनों पर मनन किये जाने के उपरांत यह भी प्रतीत होता है कि अप्रार्थी नं0 1 एवं अप्रार्थी नं0 2 के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से अप्रार्थी नं0 1 को उक्त वर्णित मकान से बेदखल करने बाबत प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो उचित नही है। अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान नं0 308 सेक्टर 7 केशवपुरा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा से बेदखल करने के पर्याप्त कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के कारण बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी क्रम 2 को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 2,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

साथ ही न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीया को वर्णित मकान नं0 308 सेक्टर 7 केशवपुरा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा से बेदखल नहीं करे, प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीया के उपरोक्त मकान में शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/5/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

...पूर्ण हो चुकी है...
नागरिक की श्रेणी में आती है। ...